



Neutral Citation No. -

2026:AHC-LKO:19698

आरक्षित: 12.01.2026

परिदत्त: 18.03.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. 3000010 वर्ष 2004

सरवन सिंह एवं एक अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा उपायुक्त, खीरी एवं 3 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता

: विकास सिंह, आलोक कुमार श्रीवास्तव,
बाबू राम त्रिपाठी, हरि कृष्ण वर्मा,
नाजिम अली सिद्दीकी, उमा शंकर सहाय

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: मु.स्था.अ., डी. के. सिंह,
देव प्रकाश सिंह, टी. एन. गुप्ता

न्यायालय सं. - 4

माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली

1. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री यू. एस. सहाय, प्रत्युत्तरदाता सं. 4 के विद्वान् अधिवक्ता श्री देव प्रकाश सिंह, और प्रत्युत्तरदाता सं. 1 से 3 - राज्य के विद्वान् अपर मु.स्था.अ. श्री शिव गणेश सिंह को सुना।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान रिट याचिका, प्रत्युत्तरदाता सं. 3 द्वारा, रिट याचिका के संलग्नक-1 के रूप में अंतर्विष्ट याची की अपील, और प्रत्युत्तरदाता सं. 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2003 निरस्त करते हुए, पारित आदेश दिनांक 20.08.2003 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके माध्यम से याची की भूमि, गाटा सं. 996, क्षेत्रफल 15.868 एकड़ स्थित ग्राम घोला, परगना एवं तहसील पलिया, जिला खीरी को अधिशेष घोषित कर दिया गया था (रिट याचिका के संलग्नक-2 के रूप में अंतर्विष्ट)।

3. वाद का तथ्यात्मक ढांचा यह है कि अपीलीय प्राधिकारी (विरोधी पक्षकार सं. 3) द्वारा एक आदेश दिनांक 20.08.2003 पारित किया गया था, जिसके द्वारा याचीगण द्वारा उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 13 के अधीन दाखिल अपील, और विहित प्राधिकारी (विरोधी पक्षकार सं. 2) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन पारित आदेश दिनांक 28.02.2003 भी निरस्त कर दिया गया था, जिसके द्वारा भूमि, गाटा सं. 996, क्षेत्रफल 15.868 एकड़ स्थित ग्राम घोला, परगना एवं तहसील पलिया, जिला खीरी को अधिशेष भूमि घोषित किया गया था।

4. विरोधी पक्षकार सं. 2 एवं 3 द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश अवैध और क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, क्योंकि प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे हैं कि विवादित भूमि पर, स्वर्गीय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सुरेंद्र सिंह द्वारा निष्पादित एक वसीयत के आधार पर, याचीगण के अधिकार पहले से ही उ. प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन थे।

5. उ. प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 10(2) सपठित उ. प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 के नियम 8 के अधीन, विहित प्राधिकारी (अधिकतम-सीमा), खीरी द्वारा मृतक सुरेंद्र सिंह, जसबीर सिंह और जीवन सिंह के नाम एक नोटिस दिनांक 12.06.1997 को जारी किया गया था।

6. उक्त नोटिस के उत्तर में, याचीगण ने 31.07.1997 को यह कथन करते हुए आपत्तियां दाखिल की थीं कि सुरेंद्र सिंह ने याचीगण के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 06.09.1994 निष्पादित की थी और उनकी मृत्यु के बाद, विवादित भूमि पर याचीगण का कब्जा हो गया है।

7. आपत्ति में विनिर्दिष्ट रूप से यह भी कहा गया था कि नोटिस दिनांक 12.06.1997 में उल्लिखित भूमि असिंचित भूमि थी और इसलिए, अधिकतम क्षेत्र निर्धारित करने के प्रयोजन से इसे सिंचित भूमि नहीं माना जा सकता था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. विरोधी पक्षकार सं. 4 ने भी यह दावा करते हुए आपत्ति दिनांक 26.12.2002 दाखिल की थी, कि सुरेंद्र सिंह उसका भाई था और अभिकथन किया था कि याचीगण के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी। उसने अग्रेतर दावा किया है कि सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद भूमि पर वह कब्ज था और कि उसकी भूमि क्षेत्रफल 11.55 एकड़ को गलत रीति से सुरेंद्र सिंह की भूमि के साथ जोड़ दिया गया था।

9. विहित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान, याचीगण और विरोधी पक्षकार सं. 4 के मौखिक साक्ष्य भी अभिलिखित किए गए। फसली वर्ष 1410 की खतौनी स्पष्ट रूप से दर्शित करती है कि प्रश्नगत भूमि पर याचीगण का कब्जा था।

10. स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ने याचीगण के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 06.09.1994 निष्पादित की थी। उक्त वसीयत के आधार पर, चकबंदी अधिकारी, लखीमपुर खीरी ने आदेश दिनांक 03.05.1997 द्वारा, याचीगण को मृतक सुरेंद्र सिंह का विधिक उत्तराधिकारी निर्णीत किया था।

11. तथापि, विहित प्राधिकारी ने आपत्तियों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर उचित रीति से विचार किए बिना, गाटा सं. 996 की 15.868 एकड़ भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित करते हुए, आदेश दिनांक 28.02.2003 पारित किया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. विहित प्राधिकारी ने, अग्रेतर चकबंदी अधिकारी द्वारा, याचीगण को सुरेंद्र सिंह का विधिक उत्तराधिकारी मानते हुए पारित आदेश की भी उपेक्षा की था, यद्यपि उक्त आदेश से संबंधित मामला उ. प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित था।

13. विहित प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि प्रश्नगत भूमि सिंचित भूमि थी, पूर्णतः स्वच्छंद है और बिना किसी साक्ष्य के है, क्योंकि फसली वर्ष 1378, 1379 और 1380 के सुसंगत खसरा अभिलेख राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे, और सिंचित भूमि निर्धारित करने हेतु अधिनियम की धारा 4-क के अधीन विहित शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। याचीगण अभी भी विवादित भूमि पर कब्जे में हैं।

14. आदेश दिनांक 28.02.2003 से व्यथित होकर, याचीगण ने अधिनियम की धारा 13 के अधीन एक अपील अधिमानित की थी, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वाद के गुणावगुण पर, और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किए बिना, आदेश दिनांक 20.08.2003 द्वारा अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष अधिमानित की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उ.प्र.अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2003, और अधिनियम की धारा 13 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.08.2003, पूर्णतः अवैध, स्वच्छंद और क्षेत्राधिकार-रहित हैं, और इस माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य हैं।

16. उन्होंने निवेदित किया है कि विहित प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे हैं कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ने याचीगण के पक्ष में एक रजिस्ट्रीकृत वसीयत दिनांक 06.09.1994 निष्पादित की थी, और सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के उपरांत, उक्त वसीयत के आधार पर विवादित भूमि पर याचीगण का कब्जा हो गया था। चकबंदी अधिकारी, लखीमपुर खीरी ने भी, आदेश दिनांक 03.05.1997 द्वारा, याचीगण को मृतक सुरेंद्र सिंह का वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

17. उन्होंने अग्रेतर निवेदित किया है कि वसीयत के आधार पर विवादित भूमि पर याचीगण के अधिकारों और स्वामित्व का मामला, उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहले से विचाराधीन था, और उससे संबंधित मामला उक्त अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित था। ऐसी परिस्थितियों में, विहित प्राधिकारी को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चकबंदी अधिकारी द्वारा, याचीगण को सुरेंद्र सिंह का वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए, पारित आदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी।

18. अग्रेतर निवेदित किया है कि विहित प्राधिकारी ने याचीगण द्वारा दाखिल आपत्तियों का उचित रीति से मूल्यांकन किए बिना और अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत सामग्री पर विचार किए बिना, विवादित भूमि को अधिशेष भूमि घोषित करने की कार्यवाही की है, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से अवैधता हुई है।

19. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि विहित प्राधिकारी ने गलत रूप निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि विचाराधीन भूमि सिंचित भूमि थी, जबकि याचीगण ने अपनी आपत्तियों में विशेष रूप से कहा था कि नोटिस दिनांक 12.06.1997 में उल्लिखित भूमि असिंचित भूमि थी।

20. अग्रेतर निवेदित किया है कि फसली वर्ष 1378, 1379 एवं 1380 के सुसंगत खसरा अभिलेख राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे, और इसलिए, सिंचित भूमि निर्धारित करने हेतु उ. प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 4-क के अधीन विहित वैधिक शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। ऐसी सामग्री के अभाव में, विहित प्राधिकारी का भूमि को सिंचित भूमि मानने का निष्कर्ष पूर्णतः स्वच्छंद है और विधि में असंधार्य है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता अग्रेतर निवेदन करते हैं कि फसली वर्ष 1410 की खतौनी स्पष्ट रूप से दर्शित करती है कि विचाराधीन भूमि पर याचीगण का कब्जा था, और विहित प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर उचित रीति से विचार नहीं किया है।

22. यह भी निवेदित किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 4 ने भूमि पर अपना कब्जा होने का दावा करते हुए और सुरेंद्र सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत को चुनौती देते हुए आपत्तियां दाखिल की थीं, तथापि, स्वत्व से संबंधित ऐसे विवाद का विनिश्चय अधिकतम-सीमा की कार्यवाही में नहीं किया जा सकता था, और विहित प्राधिकारी ने भूमि को अधिशेष भूमि घोषित करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की उपेक्षा करके स्वयं को पूर्णतः भ्रमित किया है।

23. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी, आदेश दिनांक 20.08.2003 द्वारा याचीगण की अपील निरस्त करते समय, मामले के उपर्युक्त विधिक और तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने में भी विफल रहा है, और उसने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर उचित रीति से विचार किए बिना, यांत्रिक रूप से अपील खारिज की है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



24. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता, अंत में निवेदन करते हैं कि दोनों अवर प्राधिकारियों ने आक्षेपित आदेश पारित करने में अवैध रीति से और स्वच्छंद रीति से कार्य किया है, और ये विधि और क्षेत्राधिकार की स्पष्ट त्रुटियों से ग्रसित हैं, इसलिए, आक्षेपित आदेश इस माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य हैं।

25. दूसरी ओर, आरंभ में ही, प्रत्युत्तरदाता सं. 1 से 3 के विद्वान् अपर मु.स्था.अ. ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान रिट याचिका पूर्णतः भ्रामक और गुणावगुण रहित है, और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि आक्षेपित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित विचार करने के बाद, विधि के पूर्ण अनुपालन में ही पारित किए गए हैं।

26. उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में कार्यवाही, भू-धारक के पास विद्यमान अतिरिक्त भूमि का निर्धारण करने के लिए, उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अधीन आरंभ की गई थी। विवादित भूमि ग्राम घोला, परगना एवं तहसील पलिया, जिला खीरी में स्थित है। अधिनियम की धारा 10(2) के अधीन 12.06.1997 को एक नोटिस राजस्व अभिलेखों के आधार पर अतिरिक्त भूमि का निर्धारण करने के लिए जारी किया गया था। प्ररूप-3-ग के कथन के अनुसार, अपने परिवार के सदस्यों सहित, भू-धारक के पास कुल 34.27 एकड़ भूमि पाई गई थी। भू-धारक को सिंचित भूमि की 18.038 एकड़ की अनुमत सीमा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदान करने के बाद, 16.232 एकड़ का क्षेत्र अतिरिक्त भूमि घोषित करने का प्रस्ताव किया गया था।

27. उन्होंने निवेदित किया है कि अधिनियम की धारा 10(2) के अधीन नोटिस के उत्तर में, मूल भू-धारक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के सगे भाई और विधिक उत्तराधिकारी जसवीर सिंह ने यह कथन करते हुए आपत्तियां दाखिल की थीं कि कुछ भूखंड, अर्थात् भूखंड सं. 755, क्षेत्रफल 2.45 एकड़, भूखंड सं. 734/1446, क्षेत्रफल 0.51 एकड़ और भूखंड सं. 996, क्षेत्रफल 19.38 एकड़, कुल क्षेत्रफल 22.24 एकड़, उनके कब्जे में थे, और सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद, वे विधिक उत्तराधिकारी के रूप में उन पर काबिज थे। उन्होंने अग्रतर अभिकथन किया है कि सुरेंद्र सिंह ने सरवन सिंह और जोगा सिंह के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी। दूसरी ओर, याचीगण सरवन सिंह और जोगा सिंह ने भी, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के जीवनकाल में उसके द्वारा निष्पादित अभिकथित वसीयत के आधार पर उसके विधिक उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए आपत्तियां दाखिल की हैं, और प्रकथित किया है कि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम नामांतरित किए गए थे।

28. उन्होंने अग्रतर निवेदित किया है कि विहित प्राधिकारी ने, पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने और अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि सरवन सिंह और जोगा सिंह द्वारा विश्वास “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की गई अभिलिखित वसीयत दिनांक 06.08.1994, एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था, क्योंकि वह न तो सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत थी, न ही विधिक रूप से साबित थी, और केवल नोटरीकृत थी। परिणामस्वरूप, विहित प्राधिकारी ने निर्णीत किया है कि याचीगण को मूल भू-धारक का विधिक उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता है।

29. उन्होंने अग्रतर निवेदित किया है कि विहित प्राधिकारी ने यह भी अभिलिखित किया है कि जसवीर सिंह के नाम पर अभिलिखित भूमि, क्षेत्रफल 11.55 एकड़, मूल रूप से भू-धारक सुरेंद्र सिंह की थी और बाद में अंतिम दिनांक, अर्थात् 08.06.1973 के बाद निष्पादित एक विक्रय-विलेख द्वारा जसवीर सिंह के पक्ष में अंतरित कर दी गई थी। उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 5 से संबंधित स्पष्टीकरण II की दृष्टि से, अधिकतम-सीमा क्षेत्र निर्धारित करते समय ऐसे अंतरण उपेक्षित किए जाने योग्य था और इसलिए, अधिशेष भूमि की गणना के प्रयोजन से उक्त भूमि को सुरेंद्र सिंह की जोत में उचित रीति से सम्मिलित किया गया था।

30. उन्होंने निवेदित किया है कि विहित प्राधिकारी ने भी, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पाया था कि प्रश्नगत भूमि सिंचित भूमि थी और सिंचाई का स्रोत एक निजी बोरिंग था, जैसा सी.एच. प्ररूप-41 सहित, अभिलेख से दर्शित होता है। तदनुसार,

अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर सम्यक् विचार करने के बाद, विहित प्राधिकारी “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ने एक उचित सकारण आदेश दिनांक 28.02.2003 द्वारा, गांव घोला में स्थित भूखंड सं. 996

से क्षेत्रफल 15.868 एकड़ को अधिशेष भूमि घोषित कर दिया।

31. उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, याचीगण ने अधिनियम की धारा 13 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मंडल, लखनऊ के समक्ष एक विधिक अपील अधिमानित की है। अपीलीय प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का पुनर्मूल्यांकन करने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश दिनांक 28.08.2003 द्वारा अपील खारिज कर दी थी और विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की थी

32. यह निवेदित किया गया है कि दोनों अवर प्राधिकारियों ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के बाद विस्तृत और सकारण आदेश पारित किए हैं। प्राधिकारियों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित पूर्णतः तथ्यों के निष्कर्ष हैं, और किसी अवैधता या अनौचित्य से ग्रसित नहीं है, जिससे इस माननीय न्यायालय द्वार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना अपेक्षित हो।

33. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि अतिरिक्त भूमि की घोषणा के बाद, राज्य प्राधिकारियों द्वारा उसका कब्जा पहले ही ले लिया गया है और विधि के अनुसार, पात्र व्यक्तियों के पक्ष में

पट्टे जारी करके भूमि को उनके बीच वितरित कर दिया गया है। उक्त आवंटनी प्रश्नगत भूमि “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के कब्जे में हैं। याचीगण यह दर्शित करने के लिए कोई मामला स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि आक्षेपित आदेशों में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, अवैधता या स्पष्ट स्वच्छंदता है। रिट याचिका गलत और भ्रामक प्रकथनों पर आधारित है और यह विधिक प्राधिकारियों द्वारा अभिलिखित तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती देने का एक प्रयास है।

34. उन्होंने निवेदित किया है कि यह सुस्थापित है कि यह माननीय न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने या तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है, जब तक कि वे निष्कर्ष विकृत या विधि के विपरीत न पाए जाएं, जो वर्तमान मामले में वाद नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि से, अत्यधिक विनम्रतापूर्वक निवेदित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2003 और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2003 उचित रीति से सकारण, वैध और न्यायोचित हैं, और इस माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

35. प्रत्युत्तरदाता सं. 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने भी, प्रत्युत्तरदाता सं. 1 से 3 की ओर से विद्वान् अपर मु.स्था.अ. द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को स्वीकार किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



36. मैंने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

37. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय पाता है कि मामले के कुछ सारवान् पहलुओं पर, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, अवर प्राधिकारियों द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

38. आरंभ में ही, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ने, अभिकथित रूप से याचीगण के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 06.09.1994 निष्पादित की थी, और उक्त वसीयत के आधार पर, चकबंदी अधिकारी, लखीमपुर खीरी ने आदेश दिनांक 03.05.1997 द्वारा याचीगण को मृतक सुरेंद्र सिंह का वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यह भी विवादित नहीं है कि उपर्युक्त वसीयत के आधार पर याचीगण के अधिकारों और स्वत्व से संबंधित कार्यवाहियां, उ. प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन थीं। जब चकबंदी अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने मामले की पहले ही परीक्षा कर ली थी और याचीगण को सुरेंद्र सिंह के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में मान्य किया था, तो उ. प्र. भूमि अधिकतम जोत सीमा आरोपण

अधिनियम, 1960 के अधीन विहित प्राधिकारी को अधिशेष भूमि निर्धारित करने से पहले उक्त “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदेश पर विचार करना चाहिए था। चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित उपर्युक्त महत्वपूर्ण आदेश पर विचार करने में विहित प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप निर्णय-निर्धारण की प्रक्रिया में स्पष्ट अवैधता हुई है।

39. यह न्यायालय अग्रतर पाता है कि विहित प्राधिकारी ने, अभिलेख पर उ. प्र. भूमि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 4-क के अधीन विहित विधिक शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री के बिना, यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि प्रश्नगत भूमि सिंचित भूमि थी। याचीगण ने विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिवचन किया था कि नोटिस दिनांक 12.06.1997 में उल्लिखित भूमि असिंचित भूमि थी और फसली वर्ष 1378, 1379 और 1380 की संबंधित खसरा प्रविष्टियां, जो अधिनियम के अधीन भूमि की प्रकृति निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं, स्वीकृत रूप से अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थीं। ऐसे सारवान् साक्ष्य के अभाव में, विहित प्राधिकारी द्वारा भूमि को सिंचित भूमि मानते हुए निकाला गया निष्कर्ष, उचित आधार के बिना अभिलिखित किया गया प्रतीत होता है और विधि में संधारित नहीं किया जा सकता है।

40. अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि फसली वर्ष 1410 की खतौनी विवादित भूमि पर याचीगण का कब्जा दर्शित करती है, तथापि, उक्त सारवान् दस्तावेज पर विहित प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। अवर “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्राधिकारियों ने वसीयत की सत्यता और पक्षकारों के बीच स्वत्व के विरोधी दावों से संबंधित प्रश्नों पर भी विचार किया है, जो आवश्यक रूप से चकबंदी कार्यवाही के अधीन सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अधिकतम-सीमा प्राधिकारियों से मुख्य रूप से राजस्व अभिलेखों के आधार पर भू-धारक की जोत निर्धारित करना अपेक्षित है और वे स्वत्व के जटिल प्रश्नों पर निश्चयायक रूप से न्यायनिर्णयन नहीं कर सकते हैं।

41. अपीलीय प्राधिकारी याचीगण की अपील खारिज करते समय, मामले के इन महत्वपूर्ण पहलुओं की परीक्षा करने में विफल रहे हैं, और उन्होंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर उचित विचार किए बिना, केवल विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की है। इसलिए, अपीलीय आदेश मस्तिष्क का प्रयोग न किए जाने से ग्रसित है और संधारित नहीं किया जा सकता है।

42. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि से, इस न्यायालय की विमर्शित राय है कि विहित प्राधिकारी द्वारा उ.प्र.अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अधीन पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2003, और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अधीन पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.08.2003, सारवान् अनियमितताओं और विधि की स्पष्ट त्रुटियों से ग्रसित हैं। अवर प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत सामग्री पर विचार करने में विफल रहे हैं, और ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



43. तदनुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाने योग्य है और एतद्वारा **अनुज्ञात** की जाती है।

44. विहित प्राधिकारी (अधिकतम-सीमा), खीरी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **28.02.2003**, और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **20.08.2003**, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

45. संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, और चकबंदी कार्यवाहियों में पारित आदेश सहित, अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत सामग्री पर विचार करने के बाद, विधि के अनुसार इस मामले पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए, मामला विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। विहित प्राधिकारी कार्यवाही को शीघ्रता से, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, पूर्ण करने का सभी संभव प्रयास करेगा।

46. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

मार्च 18, 2026

आदर्श के सिंह

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”